

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

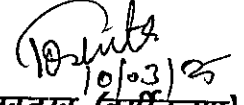
आज्ञा

क्रमांक:-स्था.(रा.न्या.से.)/सं.प.अ./ 139 /2025 दिनांक : 10.03.2025

श्रीमती दिप्ती स्वामी (RJ00889), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नवलगढ़ (झुंझुनू) को दिनांक 25.03.2025 से 09.04.2025 तक 16 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 10.04.2025 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती स्वामी की अनुपस्थिति में न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, नवलगढ़ (झुंझुनू) इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नवलगढ़ (झुंझुनू) के पद पर ही होने की संभावना है।

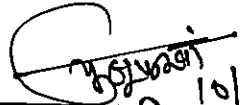
आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:-स्था.बी.2(4)/60/2015/

दिनांक : 10.03.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, झुंझुनू को उनके पत्रांक 2563 दिनांक 18.02.2025 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती दिप्ती स्वामी (RJ00889), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नवलगढ़ (झुंझुनू)।
4. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नवलगढ़ (झुंझुनू)।
5. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, नवलगढ़ (झुंझुनू)।


सहायक रजिस्ट्रार 10/03/25